



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची ।**



वन भवन, डोरणडा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

फ़ोन - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01 / यो०ब०-२०/२०१८- ५३। दिनांक :- १६/०८/२०२०

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमण्डल, दुमका/पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़/गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा/देवघर वन प्रमण्डल, देवघर/साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज/जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा/मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2024-25 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत कंटीले तार से धेरान के साथ नदी तट वृक्षारोपण (नदी के दोनों किनारे वृक्षारोपण) का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के लिए कुल रु० 88.341 लाख (अठासी लाख चौंतीस हजार एक सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:- वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो०ब०-३०/२०१८-२६ व०प० दिनांक-२०.०८.२०१८ एवं आवंटन आदेश संख्या-०४ / यो० बजट-३२/२०१९-०९ / आ० व०प० दिनांक-०५.०८.२०२० ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-०१ वानिकी, लघु शीर्ष- 102-समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष-५९-आवेसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु० 88.341 लाख (अठासी लाख चौंतीस हजार एक सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601102590103	80.880
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601102590323	7.461
कुल :-		88.341

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-१ पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-२ एवं ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-३ पर दस्तव्य है।

[Signature]

3. इस योजना का कोड संख्या— 19S240601102590103 तथा 19S240601102590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के समय पत्रांक-1254 दिनांक-20.07.2020 अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

8. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

14. वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों/अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मन्त्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की

अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।

15. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

16. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

17(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्वपण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) सभी भुगतान मजदूरों/सामग्री को DBT/Bank खातों में ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

(V) Muster roll में अन्य व्यौरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड़ भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(VI) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VII) एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VIII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(IX) योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय। वन प्रमंडल पदाधिकारी जाँच कर प्रतिवेदन देंगे।

(X) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(XI) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XII) श्रोत पर (St source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

19. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षावार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01 / यो0ब0-20 / 2018- ५३। दिनांक- 16/08/2020

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू मेदिनीनगर/दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/दुमका/देवघर/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01 / यो0ब0-20 / 2018- ५३। दिनांक- 16/08/2020

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, दुमका/पाकुड़/गोड्डा/ देवघर/ साहेबगंज/ जामताड़ा/मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत नदी तट पर वृक्षारोपण (नदी के दोनों किनारे वृक्षारोपण) का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (कि०मी० में)	यूनिट कि संख्या (प्रति कि०मी० 10 यूनिट)	वित्तीय लक्ष्य		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
				11233.28	1036.40	12269.68
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	15.00	150.00	16.850	1.555	18.405
2	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	8.00	80.00	8.987	0.829	9.816
3	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	10.00	100.00	11.233	1.036	12.269
4	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	5.00	50.00	5.617	0.518	6.135
5	साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	7.00	70.00	7.863	0.725	8.588
6	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	10.00	100.00	11.233	1.036	12.269
7	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	17.00	170.00	19.097	1.762	20.859
योग :-		72.00	720.00	80.880	7.461	88.341

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

नदी तट पर वृक्षारोपण का अनुसूचित दर तालिका

पौधों की संख्या प्रति यूनिट	300
पौधों की दूरी	2mx3m
1 यूनिट का परिमाप	2000 m ² 100*20
1 यूनिट में घेरान की कुल लम्बाई	240m
मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	257.29 रुपये

वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगाया गया (तृतीय वर्ष) वार्षिक दर प्रति वर्ष 100*20						
1	एक कोड़नी-निकोनी	प्रति इकाई	4.2	1080.62	0.00	1080.62
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / उरिया, जैविक किटनासक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	661.40	661.40
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	24.00	6174.96	0.00	6174.96
4	घेरान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.20	308.75	275.00	583.75
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन (@10%) 100 Plant	प्रति इकाई	0.62	159.52	100.00	259.52
6	पटवन (आवश्यकतानुसार)	प्रति इकाई	13.64	3509.44	0.00	3509.44
	कुल:-		43.66	11233.28	1036.40	12269.68

अपर प्रधान मुख्य बृक्ष संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।



जारखंड सरकार

आवंटन आदेश

जारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती हैं

पत्र संख्या - 01/YB-20/2018/431

दिनांक - 16-Aug-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्यवन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601102590103	37000	DMKFOR010	1,685,000.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SOURAV CHANDRA	रुपये सोलह लाख पिचयासी हजार
	102 - समाज तथा फार्म वानिकी		D.F.O.DUMKA	
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण			
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)			
	Central Scheme : NA			
2	S 19 240601102590103	37001	PKRFOR001	898,700.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		VINAY KANT MISHRA	रुपये आठ लाख अलानवे हजार
	102 - समाज तथा फार्म वानिकी		DIVISIONAL FOREST OFFICER	साल सौ
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण			
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)			
	Central Scheme : NA			

2,583,700.00

योगः

(NAND KISHORE SINGH)

क्रमिक योगः

रुपये पच्चीस लाख तिरयासी हजार सात सौ

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
3	S 19 240601102590103	37002	GDDFOR164	1,123,300.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		ARVIND KUMAR	रुपये ग्यारह लाख तेइस हजार तीन सौ
	102 - समाज तथा फार्म वानिकी		DFO GODDA FOREST	
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण		DIVISION	
	01 - बेनन एवं भने			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme :	AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)		
	Central Scheme :	NA		
4	S 19 240601102590103	37003	DGRFORE88	561,700.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		PREMJIT ANAND	रुपये पाँच लाख इक्सठ हजार सात सौ
	102 - समाज तथा फार्म वानिकी		DFO	
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण		DEO.FOR.DIV.DEO.	
	01 - बेनन एवं भने			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme :	AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)		
	Central Scheme :	NA		
5	S 19 240601102590103	37004	SBJFOR001	786,300.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		VIKAS PALIWAL	रुपये सात लाख छियासी हजार तीन सौ
	102 - समाज तथा फार्म वानिकी		DIV.FOR.OFF.SAHIBG	
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण		NJ	
	01 - बेनन एवं भने			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme :	AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)		
	Central Scheme :	NA		

योगः

2,471,300.00

क्रमिक योगः

5,055,000.00

रुपये पचास लाख पचपन हजार



(NAND KISHORE SINGH)


ADDL. PCCF, DEV, JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	37005	JMTFOR001 SUSHIL SOREN. D.F.O. JAMTARA	1,123,300.00 रुपये ग्यारह लाख तेहस हजार तीन सौ
7	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	37006	PLMFOR070 RAHUL KUMAR IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	1,909,700.00 रुपये उन्नीस लाख नौ हजार सात सौ
8	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	37007	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	155,500.00 रुपये एक लाख पचपन हजार पाँच सौ

3,188,500.00


8,243,500.00

योग:



(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
9	S 19 240601102590323	37008	PKRFOR001	82,900.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		VINAY KANT MISHRA	रुपये बयासी हजार नौ सौ
	102 - समाज तथा फार्म वानिकी		DIVISIONAL FOREST	
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण		OFFICER	
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme :	AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)		
	Central Scheme :	NA		
10	S 19 240601102590323	37009	GDDFOR164	103,600.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		ARVIND KUMAR	रुपये एक लाख तीन हजार छ: सौ
	102 - समाज तथा फार्म वानिकी		DFO, GODDA FOREST	
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण		DIVISION	
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme :	AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)		
	Central Scheme :	NA		
11	S 19 240601102590323	37010	DGRFORE88	51,800.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		PREMJIT ANAND	रुपये इकावन हजार आठ सौ
	102 - समाज तथा फार्म वानिकी		DFO	
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण		DEO.FOR.DIV.DEO.	
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme :	AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)		
	Central Scheme :	NA		
रोगः				238,300.00
क्रमिक रोगः				8,481,800.00
 (NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCF, DEV, JHARKHAND				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	S 19 240601102590323	37011	SBJFOR001	72,500.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी		VIKAS PALIWAL	रुपये बहत्तर हजार पैंच सौ
	01 - वानिकी		DIV.FOR.OFF.SAHIBG	
	102 - समाज तथा फार्म वानिकी		NJ	
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण			
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)			
	Central Scheme : NA			
13	S 19 240601102590323	37012	JMTFOR001	103,600.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी		SUSHIL SOREN.	रुपये एक लाख तीन हजार छ: सौ
	01 - वानिकी		D.F.O. JAMTARA	
	102 - समाज तथा फार्म वानिकी			
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण			
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)			
	Central Scheme : NA			
14	S 19 240601102590323	37013	PLMFOR070	176,200.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी		RAHUL KUMAR IFS	रुपये एक लाख छहत्तर हजार दो सौ
	01 - वानिकी		D.F.O.MEDININAGAR.	
	102 - समाज तथा फार्म वानिकी		OREST.DIV.	
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण			
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)			
	Central Scheme : NA			

352,300.00

8,834,100.00



(NANDKISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND